फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

ए यू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. बनाम मैसर्स दर्शन फूड प्लाजा एण्ड रेस्टोरेन्ट व अन्य
शाखा अजमेर रोड जयपुर

किस्म मुकदमा:–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002

मु0 नम्बर 03 सन् 2026

GCMS No. 2026/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/3/26	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट–2002 के तहत् प्रार्थी ए यू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. शाखा, अजमेर रोड, जयपुर ने ऋणी/सहऋणी 1. मैसर्स दर्शन फूड प्लाजा एण्ड रेस्टोरेन्ट पता– जीटी रोड, ओडेला रोड के सामने धौलपुर 328001 (ऋणी) 2. श्रीमती सुषमा हरिशंकर शर्मा पता– जिरोली गिर्राज कालोनी, धौलपुर 328001 (सहऋणी) 3. श्री हरिशंकर शर्मा पता – छोटी लाईन के पास, गिर्राज कालोनी धौलपुर 328001, अन्य पताः सम्पती स्थित खसरा नं. 204 प्लाट नं. 9 गिर्राज कालोनी, धौलपुर (सहऋणी) के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 30.08.2021 को 25,00,000/– अक्षरै पच्चीस लाख रूपये मात्र का ऋण जरिये ऋण अनुबंध संख्या L9001060125017734 स्वीकृत किया था व अप्रार्थी/ऋणियों/जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण सुविधा के एवज में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– सम्पती स्थित आवासीय खसरा नं. 204, प्लाट 09 गिर्राज कालोनी, धौलपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गगज है जिसकी चतुर्सीमाएं पूर्व दिशा में प्लाट नं. 9, पश्चिम दिशा में प्लाट नं.8, उत्तर दिशा में रास्ता 20 फीट, दक्षिण दिशा में अन्य की भूमि है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 09.07.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति (एन0पी0ए0) के रूप में	

जिला मजिस्ट्रेट

वर्गीकृत कर दिया गया तथा दिनांक 17.07.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 22,64,314.00/– दिनांक 11.07.2025 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधककर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने द्वारा प्रस्तुत समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पती स्थित आवासीय खसरा नं. 204, प्लाट 09 गिर्राज कालोनी, धौलपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, जिसकी चतुर्सीमाएं पूर्व दिशा में प्लाट नं.9, पश्चिम दिशा में प्लाट नं.8, उत्तर दिशा में रास्ता 20 फीट, दक्षिण दिशा में अन्य की भूमि है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/3/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर